संख्या-2/3350/58-2013-144/2013

प्रेषक,

कैलाश प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन1

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ1

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2014**

विषय:- जनपद गाजीपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क निर्माण हेतु आय-व्ययक 2013-14 में प्राविधानित धनराशि रू0-45000 हजार के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-67-68/बजट-आयोजनागत/2012-13 दिनांक 11-6-2013 एवं पत्र संख्या-848-53/अल0ब0/लोहिया-15(4)/2013-14 दिनांक 20-11-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क के निर्माण हेतु अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत आय-व्ययक 2013-14 में प्राविधानित धनराशि रू0-4,50,00 हजार के सापेक्ष जनपद गाजीपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0-1,44,22 हजार के सापेक्ष अवशेष माहों के दृष्टिगत 50 प्रतिशत धनराशि (औद्यानिक क्रियाकलापों हेतु रू0-27,41 हजार +निर्माण हेतु रू0-44,70 हजार) अर्थात कुल रू0-72,11 हजार

http://shasanadesh.up.nic.in

(रूपये बहत्तर लाख ग्यारह हजार) मात्र की धनराशि को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**जनपद गाजीपुर के लिए अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि**
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-		
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-		
112-सार्वजनिक उद्यान		
04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क-		
02-मजदूरी	37,38	4,80
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60	8
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयत्र	60	7
42-अन्य व्यय	93,12	15,24
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	48,30	7,22
योग-	**1,80,00**	**27,41**

http://shasanadesh.up.nic.in

4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान 03-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क- 24-वृहत निर्माण कार्य	2,70,00	44,70
योग-	**2,70,00**	**44,70**
कुल योग-	**4,50,00**	**72,11**

(रूपये बहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण योजना के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार फेजिंग करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाय।

(3) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व तैयार कराये गये आगणन पर शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(4) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का होगा। पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आगणन में संशोधित दर के अनुसार ही व्यय/ निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक उद्यान/मुख्य नियन्त्रक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्ययावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक-28-3-2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(9) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने के पूर्व भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(12) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत मुख्य वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो मुख्य वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह के 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-1-22/दस- 2014 दिनांक-8-1-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

ह0/-

(कैलाश प्रकाश)

विशेष सचिव।

<u>संख्या-2/3350/(1)/58-2013,तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, गाजीपुर।
(3) कोषाधिकारी, गाजीपुर।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (व्यय- नियंत्रक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) मुख्य वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(कैलाश प्रकाश)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in